राजस्व अपील संख्या 168/2023

अनवान

मूलसिंह बनाम जगदीश वगैराह

दिनांक 5–6–2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2023 अनवान जगदीश वगैराह बनाम तहसीलदार आउ मे पारित आदेश दिनांक 04–04–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 एक की ओर से उपस्थित एवं रेस्पो0 दो की ओर से श्री सुरेश जोशी अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलांट अधिवक्ता एवं रेस्पो0 अधिवक्ताओ की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई पक्षकारो के अधिवक्ता बहस के दौरान यह भी सहमति प्रदान की उक्त अपील का इस स्तर पर निस्तारण कर जावें कि दोनो पक्षो की उपस्थिति मे तहसीलदार आउ उक्त भूमि की पहले पैमाईश करवाई जावें। तत्पश्चात पत्थगढी की कार्यवाही कराने का निवेदन किया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–04–2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2023 मे आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार आउ को निर्देशित किया जाता है कि मूल खंसरा नम्बर 432 (432) व मूल खंसरा नम्बर 433 ग्राम रूगनाथपुरा की सीमा की विधिवत पैमाइश उभयपक्षरान की उपस्थिति मे टीम गठित कर की जावे। तत्पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जावे। इस बाबत उभयपक्षरान भी सहमत है। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर